भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1601

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: जंगली जानवरों के कारण फसलों का नुकसान

1601. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है;

(घ) सरकार का जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए क्या अन्य सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ङ) ऐसे जानवरों को बड़ी संख्या में पकड़ने तथा उन्हें संरक्षित वनों में भेजने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जंगली एवं आवारा पशुओं द्वारा खेतों में फसलों को पहुंचाई गई क्षति की कीमत का मूल्यांकन / अध्ययन नहीं करता। आवारा एवं जंगली पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाई गई क्षति की मात्रा का अनुमान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग, राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाई गई क्षति के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार किया गया है। फसलों की क्षति से संबंधित पिछले चार वर्षों में दी गई क्षतिपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**मुआवजा (लाख में)**
2016-17	10.71
2017-18	78.748
2018-19	94.34
2019-20	59.90 (अक्टूबर 2019 तक)

इसके अलावा, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग रबी 2018-19 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत जहां कहीं भी जंगली जानवरों के आक्रमण से फसलों की क्षति का जोखिम अत्यधिक मात्रा में होता है और वह

जोखिम पहचान योग्य होता है वैसी स्थिति में फसल क्षति के लिए एड-ऑन कवरेज प्रदान करने पर विचार करने के लिए राज्यों को छूट दी गई है।

(घ): सरकार ने देश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाई जाने वाली क्षति को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:

(i) `प्रोजेक्ट टाइगर ',' प्रोजेक्ट एलीफेंट' एवं 'वाइल्डलाइफ हैबिटेट्स के विकास नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निवास सुधार कार्यों अर्थात प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार, कृत्रिम तालाबों का निर्माण, जलाशय, फसलों की क्षति को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों में चारा एवं खाद्य स्रोतों को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने हेतु राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगली जानवरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए गर्भनिरोधक टीकाकरण के लिए एक परियोजना का अनुमोदन किया है।

(iii) कांटेदार तार की चारदीवारी, सौर ऊर्जा चालित बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग कर जैव बाड़, चारह दीवारी आदि के रूप में फिजकल अवरोधों का निर्माण करना / उन्हें खड़ा करना ताकि खेतों में जंगली जानवरों का प्रवेश रोका जा सकें।

इसके अलावा, राज्य सरकार अपनी स्कीमों के माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाई जाने वाली क्षति को कम करने के लिए कदम उठाती हैं।

(ङ.): वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के प्रावधान हैं, अधिनियम की धारा 11 और 12 में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य वन्यजीव वार्डन एवं प्राधिकृत अधिकारियों को समस्या पैदा करने वाले जंगली जानवरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है। हाथियों के संदर्भ में गज टास्क फोर्स में समस्या के निराकरण के लिए अनेकों सिफारिशें की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ में एंटी डिप्रेशन टीमों का गठन, आवाजाही को रोकने के लिए बाधाएं और समस्या पैदा करने वाले जानवरों को पकड़ने और उन्हें भगाना शामिल हैं।

****